न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0–11/2018-19

अरूण कुमार पिता राजा राम कश्यप – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–अशोक कुंज, पोस्ट–अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची।
वर्तमान पता– ग्राम–बिनगाँव, थाना–कर्रा

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा – **विपक्षी**

आदेश

13.10.18

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–914R27/17-18 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.18 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बिनगाँव	कर्रा 132	03	197	0.29
		03	170	0.57
		01	167	0.03½
				0.89½

आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्री केवाला सं0 168 दिनांक 24.02.2010 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टा के निष्पादनकर्त्ता इंद्रनाथ साहू पिता संतोष साहू है। विक्रेता के पिता संतोष साहू वैगरह ने उपरोक्त भूमि दो रजिस्ट्री बिक्रि पट्टा सं0 221 दिनांक 07.01.1983 एवं दिनांक 27.01.1955 से प्राप्त की है, एवं जीवन पर्यंत शांतिपूर्ण दखलकार रहे। संतोष अपने पिछे दो पुत्र इंद्रनाथ साहू एवं बिरेन्द्र साहू को छोड़ गये। उपरोक्त भूमि आपसी बंटवारे में इंद्रनाथ साहू के हिस्से में आये जिस पर वे शांतिपुर्वक दखलकर हुए एवं वे अपने हिस्से की भूमि बिक्री किए हैं। उपरोक्त क्रय के पश्चात् आवेदक भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है।

आवेदक/अपीलेंट पुनः कथन करते है कि अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 तथ्य एवं विधि विरूध है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक को सुने बिना उपरोक्त आदेश पारित किया है जो नेचुरल जास्टिस के सिध्दांत के विरूध है।

अंचल अधिकारी, कर्रा ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी–II में इंद्रनाथ साहू वो विरेन्द्र साहू पिता संतोष साहू के नाम से खाता संख्या 1 प्लाट संख्या 167 रकबा 0.64 एकड़ एवं खाता संख्या 3 प्लाट संख्या 170 रकबा 0.57 एकड़ कुल रकबा 1.21 एकड़ चल रही है परन्तु बिक्री की गयी भूमि में से खाता संख्या 3 प्लाट संख्या 197 रकबा 0.29 एकड़ भूमि की जमाबंदी मो० ठकन कुंवर जौजे वकील साहू के नाम से अलग से चल रहा है, इसमें बिक्रेता के अलावा अन्य हिस्सेदारों में विरेन्द्र साहू पिता संतोष साहू, घुरेन्द्र राम पिता स्व० बालगोबिन्द साहू, मो० बिमला देवी पति स्व० राजकुमार साहू, बसंत साहू पिता स्व० लालू साहू हैं, जिसका आपसी बटवारा नहीं हुआ है, अतः यह सुनिश्चित करना संभव नही है कि मो० ठकन कुंवर के जमाबंदी से इंद्रनाथ